

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3796 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है

अपतटीय पवन चक्कियों की स्थापना

†3796. डॉ. पोन गौतम सिगामणि :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने दक्षिणी तमिलनाडु के तट पर अपतटीय पवन चक्कियों की स्थापना के लिए वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त पत्तन ने एक वर्ष के भीतर इन पवन चक्कियों से कम से कम 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इसके लिए अपेक्षित ब्लेड को वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन पर ही असेंबल किया जाएगा और पत्तन ने इस प्रयोजनार्थ 700 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या पत्तन ने पवन चक्कियों की संस्थापना के लिए समुद्र में स्थलों की पहचान भी कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी नहीं।

(ख): जी नहीं। तथापि, भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा सुविधा प्रदान करने संबंधी योजना (एफओडब्ल्यूआईएनडी) के तहत "तमिलनाडु में अपतटीय पवन फार्म विकास संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन" के अनुसार, तमिलनाडु में अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले विभिन्न अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र (ओडब्ल्यूजेड) मैप किए गए हैं।

(ग): वी.ओ.सी पत्तन अपेक्षानुसार अपतटीय पवन चक्कियों (विंड मिल) की स्थापना हेतु आवश्यक अवसंरचना प्रदान करेगा।

(घ): जी नहीं।
